ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

08 / 2019

उनवान

1. छीतर पुत्र हरनाथ जाट जाति जाट निवासी ग्राम हाडौता तहसील चौमू जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. भगवाना पुत्र नानू जाति जाट निवासी ग्राम हाडौता तहसील चौमू जिला जयपुर।
2. रामू पुत्र नानू जाति जाट निवासी ग्राम हाडौता तहसील चौमू जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोदय चौमूं, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
4. कमली देवी पत्नी कालूराम
5. मनभरी देवी पत्नी अर्जुनलाल
6. सन्ती देवी पत्नी रामधन

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम हाडौता तहसील चौमू जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू0राजस्व अधि0 1956

निर्णय दिनांक 09.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट का पेश कर निवेदन किया है कि वह वाके ग्राम हाडौता भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरिया तहसील चौमू में प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.61है0, खसरा नम्बर 1078 रकबा 0.77है0, खसरा नम्बर 1079 रकबा 0.07है0, खसरा नम्बर 1080 रकबा 0.01है0, खसरा नम्बर 1081 रकबा 0.34है0, खसरा नम्बर 1082 रकबा 1.08है0, कुल किता -6 का कुल रकबा 2.88है0, खसरा नम्बर 1072 रकबा 0.91है0 व खसरा नम्बर 1073 रकबा 0.71 है0 स्थित है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1076, 1078, 1079, 1080, 1081, 1072, 1073 के लगवा आराजी भूमि खसरा नम्बर 1074 तथा प्रार्थी के खसरा नम्बर 1076 के उत्तरी ओर खसरा नम्बर 1075 तथा खसरा नम्बर 1076 के दक्षिणी ओर खसराद नम्बर 1077 स्थित है जो कि अप्रार्थी सख्या 1 व 2 की भूमि है। प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार तहसील चौमू के आदेश क्रमांक: भू.अ./2017/1889 दिनांक: 22.05.2017 के आदेश की अनुपालना में पटवारी हल्का हाडोता द्वारा दिनांक 31.05.2017 को मौके पर पहुचकर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष गै.म.चाह खसरा नम्बर 1080 को आधार मानकर जरीब चलाकर सीमा नापकर सभी पक्षकारान को समझाई गयी थी जिस रिपोर्ट पर मौके पर मौके पर उपस्थित पक्षकारान के हस्ताक्षर करवाये गये थे। जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित भूमि की प्रार्थी पत्थरगढी करवाना चाहता है।

प्रार्थी की एकमात्र तन्हा खातेदारी की भूमि है जिसकी पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रार्थी को उसकी कब्जेशुदा एवं स्वामित्व की भूमि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित की पत्थरगढी नही करवाने दे रहे है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी के पडोसी काश्तकार व्यक्ति है जिनका प्रार्थी की आराजीयात से किसी प्रकार का कोई संबंध या सरोकार नही है, जिस कारण यदि न्यायालय द्वारा पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाते है ता इससे किसी भी पक्षकार को हानि नही होगी तथा कब्जेशुदा स्वामित्व की भूमि की पत्थरगढी करवाकर अपनी भूमि का

उपखण्ड अधिकारी चौमू, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

ोग उपयोग कर सकेगा जिससें प्रार्थी की फसल को अवारा पशुओ सें किसी प्रकार ानि नही होगी।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 31.05.2017 के अनुसार पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 31.05.2017 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बावत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 31.05.2017 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चौमू, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.02.01 11:46:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: